

Joint Inspection Report

of the Committee Constituted in accordance to the order dated 26/07/2021 of Hon'ble NGT, Bench Bhopal in the Matter of OA no 50/2021 (Shubhendra Kumar Pandey VS NHAI & Ors.

Regarding the issue of

Cutting and felling of matured and naturally grown trees in District Satna, Madhya Pradesh for the construction of National Highway NH-135BG from 80.80 to 85.15 Kms against the set Development Plan of the city.

Index

S. No.	Details	Page no.
01	Report of the Committee	1-10
02	Photographs of inspection	11-16
03	Annexure-01 - NHAI information for Details of trees in NH-135BG	17-23
04	Annexure-02 (A) - Forest Office report for Details of non scheduled trees in NH-1325BG (80+800 to 85+150)	24-33
05	Annexure-02 (B) - Horticulture Department report for Details of scheduled trees in NH-135BG (80+800 to 85+150)	34-37
06	Annexure-03 - Site Map with Land Details Provided by NHAI (80+800 to 85+150)	38-41
07	Annexure-04 - Site location map of NH-135BG Provided by NHAI (80+800 to 120+125) of length 39.25 Kms.	42
08	Annexure-05 - Site Plan of Starting Point provided by (80+800)	43
09	Annexure-06 - M.P. Trees Conservation (Urban Area) Act 2002.	44-49

Joint Inspection Report of the Committee Constituted in accordance to order dated 26/07/2021 of Hon'ble NGT, Bench Bhopal in the Matter of OA no 50/2021 (Shubhendra Kumar Pandey VS NHAI & Ors.

Date of Visit : 01 Sep, 2021

Hon'ble NGT (CZ), Bench Bhopal directed vide its order dated 26 July, 2021 in the matter of OA no. 50/2021 (Shubhendra Kumar Pandey Vs NHAI & Ors) regarding the matter of Cutting and felling of matured and naturally grown trees in District Satna, Madhya Pradesh for the construction of National Highway NH-135BG from 80.80 to 85.15 Kms against the set Development Plan of the city in para 8 & 9 as under:-

Para 8: We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint Committee consisting of:-



*(i) Divisional Forest Officer (DFO) Satna,
M.P.*

*(ii) A Representative of Madhya Pradesh
Pollution Control Board*

Para 9. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

In compliance of the above directions, following officers visited the places comprising National Highway NH 135BG From 80+800 to 85+150 Kms on 1st September, 2021 regarding finding the facts:

1. Shri Lal Sudhakar Singh, SDO Forest Distt. Satna
2. Shri K.P.Soni, Regional Officer, Madhya Pradesh
Pollution Control Board, Satna

Shri Kapil Sharma, site engineer of the said NHAJ Project was also present during the inspection. The main issues raised in the petition by the applicant as mentioned in the order dated 26.07.2021 is as under:-

“Cutting and felling of matured and naturally grown trees in district Satna, M.P for the construction of National Highway NH 135BG From 80+800 to 85+150 Kms. against the set development plan of the city.”

The facts as observed by the Committee are as follows:

1. The National Highways Authorities of India, Ministry of Road Transport and Highways Government of India launched a project under Bharatmala Pariyojana for Construction of Two/Four Lane of NH 135BG with paved shoulder from Km 80 + 800 to Km 120+125 (Satna to Maihar Section) in the State of Madhya Pradesh. The respondents are constructing the National Highway crossing the villages Chakbandi, Giduri, Itaura Kothar, Lamtara and Sherganj; situated along the Satna-Maihar area. The Applicant Mr. Shubhendra Kumar Pandey raised an issue of Cutting and felling of fully matured and naturally grown trees in area from 80+800 Km to 85+150 Km Passing through Satna-Maihar due to the construction of the above.
2. The Committee visited along with the NH 135BG From 80+800 to 85+150 Kms with site engineer of NHAI and verified the facts regarding cutting and felling of

the trees in the proposed project. The details provided by the NHAI authorities regarding cutting and felling of trees in the proposed stretch with mitigation measures is attached as **Annuxere 1**.

3. The geographical coordinates, photographs and other relevant information are also collected which are incorporated in the Report. The main observation of the team is given below:

1. **Point of Origin - Chainage 80+800** : This is a originating point of the proposed NH-135BG. It originates near Satna from design at Km 80+800 i.e. from existing newly constructed Satna Bypass 4 lane Road (NH-39), Village:- Giduri. There is no tree plantation at this location. Photographs taken during the visit of this area are enclosed as P-1.
2. **Chainage - 80+800 To 81+300:-** This section of the proposed NH 135BG located in village Itaura Kothar, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna Madhya Pradesh and has a span of 0.5Kms. There are 10 Nos. of trees standing in the acquired land but only 2Nos trees will be affected in the

construction zone which are required to be cut for construction of 2 lane with paved shoulder.

3. **Chainage - 81+300 To 81+800:-** This section of the proposed NH located in village Chakbandi, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna M.P. and has a span of 0.5Kms. There are 426 Nos Trees standing in the acquired land but only 276 Nos trees will be affected due to the construction zone and are required to be cut for construction of 2 lane with paved shoulder are. This is a main span of the proposed NH which has major part of the existing matured and naturally grown trees. Photographs taken during the visit of this area and are enclosed at P-2.

4. **Chainage - 81+800 To 82+400:-** This part of the proposed NH is located in village Majhbogwan Kothar, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna M.P. and has a span of 0.6Kms. There are no standing trees standing in the acquired land. Therefore the cutting and felling of trees for construction of this section of NH are Nil. Photographs taken during the visit of this area

and are enclosed at P-3.

5. **Chainage - 82+400 To 83+100:-** This part of the proposed NH is located in village Lamtara Kothar, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna M.P. and has a span of 0.7Kms. There are 6 Nos.of standing trees in the acquired land but no tree is going to be affected and required to be cut for construction of 2 lanes with paved shoulder.
6. **Chainage - 83+100 To 84+900:-** This part of the proposed NH located in village Sherganj, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna, M.P. and has a span of 1.800 Kms. There are 27 Nos of trees standing in the acquired land but no tree is going to be affected and required to be cut for construction of 2 lane with paved shoulder.
7. **Chainage - 84+900 To 85+150:-** This part of the proposed NH located in village Bagedhi, Taluka Raghuraj Nagar, District Satna, M.P. and has a span of 0.250 Kms. There is no tree standing in the acquired land therefore there is no

cutting and felling of trees for construction of this span. Photographs taken during the visit of this area are enclosed P-4.

Conclusion:- As per the observation made by the committee, total no of trees standing in the said span are 469 but cutting and felling will be limited to 278 trees only, due to construction of NH 135BG from Chainage 80+800 to 85+150 Kms i.e. a span of 4.35 Kms. Further, the PP has informed that efforts to will be made to transplant the maximum trees as per direction of field specialist and considering the suitability and survival of the plant. The PP i.e. NHAI submitted that provision has been made to plant 10 times of the No. of trees felled for construction of proposed NH and accordingly the impact of felling of trees will be mitigated.

Summary Table:

Trees details in NH-135BG from Km. 80+800 to Km. 85+150

S. No.	Village	Chainage from	Chainage to	Tree standing in the acquired land	Trees affected in the construction zone and required to be cut for construction of 2- lane with paved shoulder
1	Gaduri	80+800	80+800	0	0
2	Itaura Kothar	80+800	81+300	10	2
3	Chakbandi	81+300	81+800	426	276
4	Majhbogwan Kothar	81+800	82+400	0	0
5	Lamtara	82+400	83+100	6	0
6	Sherganj	83+100	84+900	27	0
7	Bagedhi	84+900	85+150	0	0
Total Tree				469	278

Note:- Out of the total 469 trees, plants counted by Forest Department are 418 as non-schedule trees (Annexure-2A) and 21 trees are counted by Horticulture Department of M.P. Government as scheduled trees (Annexure-2B, Faldaar trees).

Additional facts:


1. The proposed project road originates near Satna from design at Km 80+800 i.e. from existing newly constructed Satna Bypass 4 lane Road (NH-39), Village:- Giduri and it terminates at design Km 120+125 i.e. junction with NH-30 (Old NH-7) near Maihar in State of Madhya Pradesh. It is a Greenfield alignment and is passing through 3 talukas (Raghuraj Nagar, Uchehara and Maihar) and 42 Villages (9 Village in Raghuraj Nagar taluka, 23 Village in Uchehara taluka and 10 Villages of Maihar taluka. of Satna district in the state of Madhya Pradesh). Design length is 39.325 Km.
2. 2 Lane /4 Lane with paved shoulder shall be undertaken the paved carriage way for 2 lanes with paved shoulder shall be 10.0m wide including both side 1.5m wide paved shoulder. The ROW width shall be 45m for the stretches from 80+800 to 104+600.
3. The design at Km 80+800 to 81+600 is a proposed Link Road Greenfield alignment of Satna-Maihar section of NH-135BG. A Greenfield section is one in which the nearby land areas was earlier not used for construction of Highway.
4. The remaining design Km 81+600 to 85+150 is part of an existing Satna Ring Road, constructed by Madhya Pradesh PWD Satna.
5. The information provided by NHA I regarding trees standing in the acquired land and trees affected in the construction zone

and required to be cut for the construction of 2- lane with paved shoulder with mitigation measures is enclosed as

Annexure-1

6. The details of the trees located in the acquired land from chainage 80+800 to 85+150 are enclosed (as per the information provided by DFO Satna). **Annexure-2**
7. Site location Map with land details for the chainage 80+800 to 85+150 (As provided by NHAI) is enclosed as **Annexure-3**
8. The site location map of the proposed NH 135BG (From 80+800 to 120+125, Satna to Maihar Section) is enclosed as **Annexure-4**
9. The starting point Map of Proposed NH 135BG (80+800) is enclosed as **Annexure-5**
10. For the reference of definition of tree, M.P. Trees conservation (Urban Area) Act-2002 is enclosed as **Annexure -6**


(Lal Sudhakar Singh)
SDO Forest, Satna
उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, सतना (म०प्र०)


(K.P.Soni)
Regional Officer, MPPCB, Satna
K. P. SONI
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Satna (M.P.)


Photograph during the visit:P-1

Starting Point of NH 135 BG Located at existing Satna, Bypass Road. Chainage 80.800





Photograph during the visit:P-2

Dense Trees plantation between Chainage 81.300 to 81.800 Kms Located Between Satna Bypass Road and Satna Panna Road.





Photograph during the visit:P-3

Satna Panna Bypass Road Near Peptech City Sohawal Satna M.P.





Photograph during the visit:P-4

Other Photographs between Chainage 81.800 to 85.150









भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
प.क्रि. ई. - 582/A, डेनिंग रोड, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)-482001

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

PIU OFFICE -582/A, Denning Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) - 482001

दूरभाष : 0761-4047042

फैक्स : 0761-4047042

ई-मेल : jabalpur@nhai.org

nhaijabalpur@gmail.com

भाराराप्रा/पक्रिई/जबलपुर/सतना-मैहर/रा.रा.-135बीजी/वृक्ष कटाई/2021/17706 दिनांक 08.09.2021

प्रति,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी-म.प्र.
मध्य प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला सतना (म.प्र.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बीजी, के सतना-मैहर खण्ड (पैकेज-3) के किमी. 80+800 से किमी. 120+100 के भाग में, सतना जिले के अन्तर्गत, प्रभावित वृक्षों को काटने के संबंध में।


महोदय,

- उपरोक्त विषय में लेख है कि, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बीजी, के सतना-मैहर खण्ड (पैकेज-3) को 2 लेन + पेड शोल्डर, मार्ग निर्माण को स्वीकृत किया गया है। उक्त परियोजना भारत शासन के साथ ही, राज्य शासन की भी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसकी सतत निरीक्षण, राज्य शासन व भारत शासन द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है।
- उक्त संबंध में लेख है कि, मार्ग निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बीजी, के सतना-मैहर खण्ड (पैकेज-3) को 2 लेन + पेड शोल्डर, मार्ग निर्माण में, सतना जिला अंतर्गत, प्रभावित ग्रामों में शासकीय भूमि, एवं राजस्व भूमि में प्रभावित वृक्षों की कटाई की जानी है, काटे जाने वाले वृक्षों का, स्थल पर राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है, एवं वृक्षों की मुआवजा राशि का समावेश सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, द्वारा जारी अवार्ड में, कर लिया गया है। आपको यह अवगत कराया जाता है कि, वृक्षों की कटाई से संबंधित कार्यवाही, राज्य शासन के नियमानुसार, राजस्व भूमि पर खड़े वृक्षों की कटाई, कलेक्टर महोदय से विधिवत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही की जाती है एवं उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही पूर्व में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विगत परियोजनाओं में भी उक्त अनुमति अनुसार ही वृक्षों की कटाई सम्पादित की गई है। तथा राज्य शासन द्वारा, अधिरोपित शर्तों के अनुसार, काटे गये वृक्षों के 10 गुना अनुपात में, वृक्षों का रोपण कराया जावेगा अथवा जो भी शर्त निर्धारित की जावेगी, उनका परिपालन सुनिश्चित किया जावेगा। सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व में जारी वृक्षों की कटाई की अनुमति की प्रतियां संलग्न है।

सधन्यवाद।

संलग्न -

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के लिये तैयार की गई रिपोर्ट की कॉपी (1-पेज)।
- पूर्व में प्राप्त अनुमतियों की प्रति (1 पेज)।



सुमेश भाटनगर 09/12

परियोजना निदेशक

भा.रा.रा.प्रा. प.क्रि.ई - जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- श्रीमान् क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा भोपाल, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल सतना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमान् उपवनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल सतना की ओर सादर सूचनार्थ।


क्षेत्रीय कार्यालय : ई-2/167, अरेरा कालोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462016Raj/Drive:PIU-Jabalpur/Letter Hindi/2021 (Letter Head)
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Railway Station, Bhopal (M.P.) 462016

मुख्यालय : प्लॉट सं. जी-5 एवं 6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 : दूरभाष : 91-11-25074100/200
Head Office : Plot No. 5 & 6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075 Ph.: 91-11-25074100/200

सड़क ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी - BUILDING A NATION, NOT JUST ROADS

Trees details in NH-135 BG from Km. 80+800 to Km. 85+150

S.N.	Village Name	From	To	Tree Standing in the Acquired land	Tree Affected in the Construction Zone and required to be cut for construction of 2-lane with paved shoulder
1	Gaduri	80+800	80+800	0	0
2	Itora Kothar	80+800	81+300	10	2
3	Chakabandi	81+300	81+800	426	276
4	Majhbogwan Kothar	81+800	82+400	0	0
5	Lamtara	82+400	83+100	6	0
6	Sherganj	83+100	84+900	27	0
7	Bagedhi	84+900	85+150	0	0
Total Tree				469	278



Sumesh Banzal
Project Director
NHAI, PIU- Jabalpur (M.P.)

Le



न्यायालय न्यायाधीश विभाग सीता (मोप्रो)

परियोजना निदेशक का कार्यालय
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (राज्य परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)
 परियोजना कार्यालय इकाई-जबलपुर

16 FEB 2013

पत्र नं. 3740

प्रकरण क्रमांक 193/अ-62/मूल/2012-2013

परियोजना निदेशक,
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
 प.कि.ई-जबलपुर/कटनी (मोप्रो) आवेदक
 बनाम
 शासन मोप्रो अनावेदक



आ दे श
(प्रारित दिनांक 16 दिसम्बर, 2012)

अ. कल्या
193

आवेदक परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्र.कि.ई. जबलपुर/कटनी (मोप्रो) ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक भाराराप्रा/पकिई/जबलपुर/एन.एच. 7/वृक्ष कटाई/हुजूर/2011/1961 दिनांक 17.12.2011 द्वारा लेख किया है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) का 4-लेन में चौड़ीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु हुजूर तहसील के विभिन्न ग्रामों के निजी व शासकीय भूमियों में स्थित वृक्षों का विस्थापना किया जाना है। ग्रामवार खसरा नम्बरो की सूची संलग्न है। संलग्न सूची अनुसार हुजूर तहसील के विभिन्न ग्रामों की निजी व शासकीय भूमियों में स्थिति वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे।

2. आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 193/तह.हुजूर/2012 रीवा दिनांक 09.11.2012 द्वारा लेख किया है कि सन्दर्भित पत्र की जांच पटवारी हल्का चौरहटा एवं अगडाल से कराई गई। जांच प्रतिवेदन मूलतः प्रेषित है। पटवारी प्रतिवेदन चौरहटा एवं अगडाल के प्रतिवेदन अनुसार सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची का मौके से जांच की गई जो सही पाई गयी। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा ने अपना जांच प्रतिवेदन न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 29/बी-121/2012-2013 दिनांक 24.12.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि तहसीलदार हुजूर के द्वारा रा. राजमार्ग (रीवा-कटनी-जबलपुर) के चौड़ीकरण 4 लेन में आने वाले ग्राम चौरहटा, चौरहटी, उमरी एवं अगडाल के भूमियों पर स्थित पेड़ों एवं शासकीय भूमियों के हस्तान्तरण संबंधी जांच प्रतिवेदन एवं हल्का पटवारी से कराई गई जांच मूलतः संलग्न कर पेड़ काटने की अनुमति चाही गई जो ग्राम चौरहटा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 520, 521, 522 पर 42 पेड़, ग्राम चौरहटी की शासकीय भूमि 145, 146, 147 पर 26 पेड़, ग्राम अगडाल की शासकीय भूमि 628 पर 148 पेड़ एवं ग्राम उमरी की शासकीय भूमि 121, 122, 123 पर 82 पेड़ तथा निजी भूमियों पर ग्राम चौरहटा की निजी भूमि 528/1, 526, 524 पर 40 पेड़, ग्राम चौरहटी की निजी भूमि 156/2, 148/2, 136/1, 140/1, 140/1/3, 140/1/4 पर 55 पेड़, ग्राम अगडाल की निजी भूमि 675, 658, 640/2, 637, 636, 501/8, 501/10, 501/7, 501/4, 510, 527/1/क/1, 557, 551 पर 54 पेड़ एवं ग्राम उमरी की निजी भूमि 152/1क, 130, कृ०प०००

129/2, 129/1, 29, 30, 119/1 110/2 पर 37 पेड़ स्थित है इस प्रकार 4 लेन में अर्जित की जा रही निजी भूमियों पर 186 पेड़ एवं शासकीय भूमि पर 298 पेड़ों के काटने की अनुमति दिया जाना उचित है।

3. अतः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रतिवेदन एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम चोरहटा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 520, 521, 522 पर 42 पेड़, ग्राम चोरहटा की शासकीय भूमि 145, 146, 147 पर 26 पेड़, ग्राम अगडाल की शासकीय भूमि 628 पर 148 पेड़ एवं ग्राम उमरी की शासकीय भूमि 121, 122, 123 पर 82 पेड़ तथा निजी भूमियों पर ग्राम चोरहटा की भूमि 528/1, 520, 524 पर 40 पेड़, ग्राम चोरहटा की निजी भूमि 156/2, 148/2, 136/1, 140/1, 140/1/ट, 140/1/ट, पर 55 पेड़, ग्राम अगडाल की निजी भूमि 675, 658, 640/2, 637, 636, 501/8, 501/10, 501/7, 501/4, 510, 527/1/क/1, 557, 551 पर 54 पेड़ एवं ग्राम उमरी की निजी भूमि 152/1क, 130, 129/2, 129/1, 29, 30, 119/1 110/2 पर 37 पेड़ काटा जाना सड़क चौड़ीकरण के लिये आवश्यक व लोक हित में होने से आवेदक को उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त वृक्ष आवेदक संस्था अपने निर्देशन में कटवायेगी।
2. आवेदक संस्था ऐसे ही वृक्षों को काटेगी जो कि सड़क चौड़ीकरण के लिये जिन्हे काटा जाना अत्यंत ही आवश्यक हो।
3. वृक्ष काटने के बाद काटी गई लकड़ी वन मण्डलाधिकारी द्वारा बताए स्थान पर जमा कराई जायेगी।
4. वृक्षों की कटाई एवं काटी गई लकड़ी वन विभाग द्वारा बताए स्थान पर जमा करवाने पर होने वाला व्यय संस्था को वहन करना होगा।
5. वृक्षों की कटाई से प्राप्त लकड़ी की नीलामी वन विभाग द्वारा कराई जायेगी तथा नीलामी प्राप्त राशि भू-राजस्व में विहित मद में जमा करवाना होगी।
6. निर्माणाधीन 4 लेन से प्रभावित होने वाले निजी स्वामित्व की भूमियों पर स्थित वृक्षों को काटने के पूर्व संयुक्त रूप से तहसीलदार एवं आवेदक द्वारा जांच करेगी तथा मुआवजे का निर्धारण अधिनियम एवं नियम के तहत पृथक-पृथक तैयार किया जावेगा।
7. निजी स्वामित्व के प्रभावित होने वाले वृक्षों के मुआवजा का भुगतान संबंधित तहसीलदार के अनुरोध से वृक्ष स्वामी को कराया जावेगा।
8. आवेदक संस्था काटे जाने वाले वृक्षों के बदले दरस गुना वृक्षों का रोपण सड़क के दोनों ओर करेगा। रोपित किये जाने वाले वृक्षों की देखरेख आवेदक संस्था द्वारा की जावेगी तथा समय-समय पर वन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।

[Handwritten Signature]
21/11/13

(एस0एन0 रूपला)
कलेक्टर,
जिला सीता (अ.प्र.)

क/13715-00A
14-5-13
R/S
10.05.13

Amrapatan

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सतना (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक-11अ62/11-12

श्री विवेक जायसवाल, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) प.कि.ई.-जबलपुर (म0प्र0) प्रभारी प.कि.ई. कटनी आবেदक
बनाम
शासन मध्यप्रदेश -अनावेदक

प.क.ई.
14

आदेश
(पारित दिनांक-30.04.2013)

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है, कि आवेदक श्री विवेक जायसवाल, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) प.कि.ई.-जबलपुर (म0प्र0) प्रभारी प.कि.ई. कटनी ने पत्र क0-भाराराप्रा/पाकिई/ जबलपुर/रा. रा-7/वृक्ष कटाई/सी.ई.जी./2012/2400 दिनांक- 24.03.2012 के माध्यम से लेख किया है, कि रा0रा0-7 के रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड का चार लेन में चौड़ीकरण हेतु तहसील अमरपाटन एवं मैहर के विभिन्न ग्रामों के निजी व शासकीय भूमियों में स्थित वृक्षों को संलग्न सूची अनुसार काटने की अनुमति प्रदान की जाय।

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) प.कि.ई.-जबलपुर (म0प्र0) प्रभारी प.कि.ई. कटनी के पत्र क0-भाराराप्रा/पाकिई/जबलपुर/रा.रा-7/वृक्ष कटाई/सी.ई.जी./2012/2400 दिनांक-24.03.2012 एवं उसके साथ संलग्न सूची के अनुसार वृक्षों को काटे जाने के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0) से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया।


अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्र0क0-02अ62/2012-13 के भाग-1 में शासकीय भूमियों पर खड़े वृक्षों के बारे में प्रतिवेदन दिनांक-13.04.13 प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तहसीलदार अमरपाटन का भी प्रतिवेदन उनके प्र0क0-427ए74/12-13 दि0-05.04.13 के रूप में अंकित है। उक्तानुसार प्रतिवेदन के मुताबिक कुल 19 ग्रामों के 115 शासकीय आराजियों में स्थित कुल 3462 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को एन0ए0 7 के चौड़ीकरण एवं पुर्नत्थान हेतु काटे जाने की अनुसंशा की गयी है। ऐसे वृक्षों की ग्रामवार सूची अनुलग्नक-अ एवं अनुलग्नक-ब के रूप में संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन से प्रतिहस्ताक्षरित सुदा संलग्न है।

इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्र0क0-02अ62/2012-13 के भाग-2 में निजी भूमियों पर खड़े वृक्षों के बारे में प्रतिवेदन दिनांक-13.04.13 प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तहसीलदार अमरपाटन का भी प्रतिवेदन उनके प्र0क0-427ए74/12-13 दि0-05.04.13 के रूप में अंकित है। उक्तानुसार प्रतिवेदन के मुताबिक कुल 24 ग्रामों की 264 आराजियों में स्थित कुल 2135 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों व 5 झुण्ड देशी बांस संख्या 370 को एन0ए0 7 के चौड़ीकरण एवं पुर्नत्थान हेतु काटे जाने की अनुसंशा की गयी है। ऐसे वृक्षों की ग्रामवार सूची अनुलग्नक-स एवं अनुलग्नक-द के रूप में अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन से प्रतिहस्ताक्षरित सुदा संलग्न है।

2.

अतः म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 तथा शासन के नवीन आदेशानुसार लोक कल्याणी योजना में पेड़ों द्वारा बाधा उत्पन्न होने पर उसे हटाये जाने सम्बन्धी प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड के चार लेन में चौड़ीकरण हेतु तहसील अमरपाटन अन्तर्गत आने वाले 19 ग्रामों के 115 शासकीय आराजियों में स्थित कुल 3462 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों तथा 24 ग्रामों में स्थित 264 निजी आराजियों में स्थित कुल 2135 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों सहित 5 झुण्ड देशी बांस के वृक्षों मुताबिक संलग्न सूची अनुलग्नक-अ, ब, स, द जो इस आदेश का अंग मानी जावेगी, को काटे जाने की अनुमति आवेदक विभाग को इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि काटे गये वृक्षों की लकड़ी नीलामी कार्यवाही आवेदित विभाग के द्वारा तहसीलदार अमरपाटन के माध्यम से वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में कराई जावेगी तथा नीलामी में प्राप्त राशि शासकीय मद में नियमानुसार जमा कराई जायेगी। आवेदक विभाग काटे गये वृक्ष के बदले प्रस्तावित सड़क की पटरी/यथोचित स्थान पर 30-30 फिट की दूरी पर कंतारबद्ध आम, नीम, जामुन, महुआ या अन्य फलदार/छायादार वृक्ष रोपित करायेगे। वृक्षों की सुरक्षा हेतु पक्के टी गार्ड बनवाते हुए 10 वर्ष तक उनके देखभाल की व्यवस्था भी की जावे। ऐसे रोपण में यूकेलिप्टस व सू-बबूल का रोपण वर्जित रहेगा। शर्तों के उल्लंघन तथा अनुमति उपरांत 6 माह की अवधि ब्यतीत हो जाने पर यह अनुमति स्वमेव निष्प्रभावी मानी जावेगी।

संलग्न-अनुलग्न-अ,ब,स,द।


अपर कलेक्टर
सतना (म०प्र०)

पृ०क०-154/रीडर/अपर कले०/2013
प्रतिलिपि-

सतना, दिनांक-30-6-13
(27.02.2013)

1. श्री विवेक जायसवाल, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) प.कि.ई.-जबलपुर (म०प्र०) प्रभारी प.कि.ई. कटनी को उनके पत्र क०-भाराराप्रा/पाकिई/ जबलपुर /रा.रा-7/वृक्ष कटाई/सी.ई.जी./2012/2400 दिनांक- 24.03.2012 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सतना को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित वन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही व निर्देश दिये जाने हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री लौ०नि०वि० सतना म०प्र०
4. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अमरपाटन जिला सतना म०प्र०
5. तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर कलेक्टर
जिला सतना (म०प्र०)



न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला-कटनी (म०प्र०)

क्रमांक / /रा०प्र०क्र०/32/ए-62/14-15 कटनी, दिनांक / /2015

संशोधन आदेश

(म०प्र० मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240-241 के तहत)

(आज दिनांक 31/10/2015 को पारित)

इस न्यायालय के रा०प्र०क्र०/32/ए-62/14-15 हमें पारित आदेश दिनांक 31/10/2015 के अनुसार आवेदक परियोजना निर्देशक भा०रा०रा०प्र०इकाई जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 रीवा-कटनी फोरलेन (चौड़ीकरण) के द्वारा ग्राम- नैगवा, प०ह०न० 82 तहसील बहोरीबंद के शासकीय भूमि (385+500 से 387+100 किमी) शासकीय 111 वृक्षों, निजी भूमि 01 कुल 112 वृक्षों को काटे जाने की अनुमति मध्य प्रदेश मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के तहत निम्न शर्तों को अधीन दी जाती है :-

- 1- आवेदक को वृक्ष काटने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार एवं वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य होगा।
- 2- वृक्षों को काटने के पूर्व आवेदक को ऐसे समस्त उपाय करने होंगे जिससे किसी भी प्रकार की जन-धन की क्षति न हो। जन-धन की क्षति होने पर आवेदक की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।
- 3- आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उक्त वृक्षों की कटाई अपनी स्वयं की देखरेख में कराना अनिवार्य होगा।
- 4- आवेदक को काटे गये वृक्षों की संख्या के 10 गुना वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
- 5- आवेदक को वृक्ष काटने के पूर्व हेमर लगाने हेतु निर्धारित राशि वन विभाग में जमा करना होगा।
- 6- सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच वृक्ष नहीं काटा जावेगा। न ही उसे ले जाया जायेगा।

उक्त शर्तें मान्य होने पर जारी दिनांक से 03 माह के अन्दर आवेदक परियोजना निर्देशक भा०रा०रा०प्र०इकाई जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 रीवा-कटनी फोरलेन को वृक्षों की कटाई कराना आवश्यक होगा। अन्यथा यह अनुमति स्वमेव ही निरस्त हो जावेगी।

अपर कलेक्टर

जिला कटनी (म०प्र०)

पृ०क्र०/16705/रा०प्र०क्र०/32/ए-62/14-15
प्रतिलिपि :-

कटनी, दिनांक 2/11/2015

- 1- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद की ओर सूचनार्थ।
- 3- नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद जिला कटनी की ओर सूचनार्थ।
- 4- आवेदक परियोजना निर्देशक भा०रा०रा०प्र०इकाई जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 रीवा-कटनी फोरलेन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला कलेक्टर
जिला कटनी (म०प्र०)



कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल सतना (म.प्र.)

E- Mail :- sdoFTsatna@mp.gov.in

क्रमांक/
प्रति

1239

सतना, दिनांक/०२/०६/२०२१

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.)

- द्वारा:- वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र सतना
विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 बीजी के सतना-मैहर खण्ड पैकेज-3 के कि.मी. 80.800 से कि.मी. 119.535 तक का चारलेन चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु समस्त प्रभावित होने वाली परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने बावत।
संदर्भ:- (1) आपका पत्र क्रमांक/ 102/अनु0अधि0/ 2021 सतना, दिनांक 18.03.2021
(2) वन परिक्षेत्र अधिकारी सतना का पत्र क्रमांक/ 931 दिनांक 1.6.2021

उपरोक्त संदर्भित विषय में अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 बीजी के सतना-मैहर खण्ड पैकेज-3 के कि.मी. 80.800 से कि.मी. 119.535 तक का चारलेन चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कियान्वयन इकाई जबलपुर द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली राजस्व भूमि पर आने वाले ग्रामों की आराजियों में खड़े वृक्षों की पैमाईस वन परिक्षेत्र अधिकारी सतना द्वारा किया जाकर मूल्यांकन पत्रक तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः मूल्यांकन पत्रक आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- मूल्यांकन पत्रक मूलतः


उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल सतना (म.प्र.)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 बी.जी. के सतना से नैहर खण्ड पैकेज 03 के कि.मी. 80.800 से कि.मी. 119.535 तक चारलेन चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु अधिग्रहित भूमि पर स्थित वृक्षों मूल्यांकन पत्रक

क्र०	आराजी मासिक का नाम	आराजी नं.	ग्राम का नाम	प्रजाति	गोलाई मी. में	गोलाई वर्ग (से.मी.)	खड़े वृक्षों की संख्या	दर	राशि	हालत
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
1				नीम	1.10	91-120	1	1369	1369	हाफ साउण्ड
2	विद्या देवी पत्नी रमेश प्रसाद साकिन इटौरा एवं अन्य	128	इटौरा कोठार	नीम	1.00	91-120	1	1369	1369	हाफ साउण्ड
3				नीम	0.80	61-90	1	712	712	अन साउण्ड
4				नीम	1.20	91-120	1	1369	1369	हाफ साउण्ड
	योग :-						4		4819	
5				वटूल	0.80	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
6				वटूल	0.60	41-60	1	96	96	अन साउण्ड
7	म.प्र. शासन शेरगंज	290	शेरगंज	वटूल	0.40	31-40	1	85	85	अन साउण्ड
8				वटूल	0.30	21-30	1	68	68	अन साउण्ड
9				वटूल	0.30	21-30	1	68	68	अन साउण्ड
10				वटूल	0.40	31-40	1	85	85	अन साउण्ड
	योग :-						6		531	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र, सतना (सं.रा.)

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
11	आदित्य मिश्रा प्रसार संस्थान	300/1क/1/क	शेरगंज	वटूल	0.80	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
	योग :-						1		129	
12	सिद्धिका बागो पुत्री सी. सिविक शेरगंज एन अन्य	296	शेरगंज	वटूल	1.10	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड
13				वटूल	2.00	Over-180	1	1970	1970	हाफ साउण्ड
14				नीम	0.40	31-40	1	85	85	अन साउण्ड
	योग :-						3		2671	
15	म.प्र. शासन	281	शेरगंज	वटूल	0.60	41-60	1	96	96	अन साउण्ड
16				वटूल	0.60	41-60	1	96	96	अन साउण्ड
17				वटूल	0.70	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
18				वटूल	0.50	41-60	1	96	96	अन साउण्ड
19				वटूल	0.30	21-30	1	68	68	अन साउण्ड
20				वटूल	0.80	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
21				नीम	0.30	21-30	1	93	93	अन साउण्ड
22				नीम	0.30	21-30	1	93	93	अन साउण्ड
23				यो वटूल	0.80	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
24				यो वटूल	0.60	41-60	1	96	96	अन साउण्ड
25				यो वटूल	1.20	91-120	1	712	712	अन साउण्ड
26				यो वटूल	1.00	91-120	1	712	712	अन साउण्ड
27				रेडंजा	1.00	91-120	1	712	712	अन साउण्ड
28				रेडंजा	1.00	91-120	1	712	712	अन साउण्ड
29				पलास	0.80	61-90	1	129	129	अन साउण्ड
	योग :-						15		4002	

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
30	मोडो शासन	9	चक्रवर्ती	नीम	0.60	41-60	1	192	192	अन साउथ
31				नीम	0.40	31-40	1	130	130	अन साउथ
32				नीम	0.70	61-90	1	712	712	अन साउथ
33	मोडो शासन	9	चक्रवर्ती	नीम	0.70	61-90	1	712	712	अन साउथ
34				नीम	0.60	41-60	1	192	192	अन साउथ
35				नीम	0.80	61-90	1	712	712	अन साउथ
	योग :-						6		2650	
36	मोडो शासन	43	चक्रवर्ती	नीम	0.80	61-90	1	712	712	अन साउथ
37				नीम	0.80	61-90	1	712	712	अन साउथ
38				शीराम	0.70	61-90	1	963	963	अन साउथ
39	मोडो शासन	43	चक्रवर्ती	शीराम	0.60	41-60	1	374	374	अन साउथ
40				शीराम	0.60	41-60	1	374	374	अन साउथ
				योग :-						5
41	मोडो शासन	50	चक्रवर्ती	शी वरुल	1.00	91-120	1	712	712	अन साउथ
	योग :-						1		712	
42	मोडो शासन	10/3	चक्रवर्ती	यूकोलिटेस	1.40	121-150	1	1031	1031	हाक साउथ
43				यूकोलिटेस	0.80	61-90	1	112	112	हाक साउथ
44				यूकोलिटेस	0.80	61-90	1	112	112	हाक साउथ
45	मोडो शासन	10/3	चक्रवर्ती	शी वरुल	0.90	61-90	1	129	129	अन साउथ
46				शी वरुल	1.00	91-120	1	712	712	अन साउथ
47				सार्गन	0.30	21-30	1	157	157	अन साउथ
48	मोडो शासन	10/3	चक्रवर्ती	सार्गन	0.21	21-30	1	157	157	अन साउथ
49				सार्गन	0.21	21-30	1	157	157	अन साउथ
50				सार्गन	0.90	61-90	1	8172	8172	सार्गुड
51	मोडो शासन	10/3	चक्रवर्ती	सार्गन	0.90	61-90	1	8172	8172	सार्गुड
52				सार्गन	0.30	21-30	1	157	157	अन साउथ
				योग :-						11

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14			
78	रघुपति कुमार शिला गोपाल दसल साकिन जैनवावा	8/1	चक्रवर्ती	सागौन	0.30	21-30	1	157	157	अन साउण्ड			
79				सागौन	0.30	21-30	1	157	157	अन साउण्ड			
80				सागौन	0.30	21-30	1	157	157	अन साउण्ड			
81				सागौन	1.00	91-120	1	17288	17288	साउण्ड			
82				सागौन	0.40	31-40	1	629	629	साउण्ड			
83				यूकेलिटस	0.40	31-40	1	85	85	अन साउण्ड			
84				यूकेलिटस	0.50	41-60	1	83	83	हाफ साउण्ड			
85				यूकेलिटस	0.50	41-60	1	83	83	हाफ साउण्ड			
86				यूकेलिटस	0.60	41-60	1	83	83	हाफ साउण्ड			
87				यूकेलिटस	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
88				यूकेलिटस	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
89				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
90				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
91				शो बबुल	0.90	61-90	1	129	129	अन साउण्ड			
92				बबुल	0.50	61-90	1	129	129	अन साउण्ड			
93				यूकेलिटस	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
94				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
95				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	112	112	हाफ साउण्ड			
96				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
97				सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	साउण्ड			
98				सागौन	0.70	61-90	1	8172	8172	साउण्ड			
99				सागौन	0.90	61-90	1	8172	8172	साउण्ड			
100				सागौन	0.70	61-90	1	8172	8172	साउण्ड			
योग :-							23		52564				

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
101	मोप्रो मिन्स्टस सल्टाई कंपनी जैववाश ओम प्रकाश पिला भरतलाल साकिन जैववाश	7/2 ख	चक्रवर्ती	सागौन	0.70	61-90	1	8172	8172	सागुड
102				सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड
103				सागौन	0.60	41-60	1	3458	3458	सागुड
104				सागौन	0.60	41-60	1	3458	3458	सागुड
105				सागौन	0.50	41-60	1	3458	3458	सागुड
106				सागौन	0.60	41-60	1	3458	3458	सागुड
107				सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड
108				सागौन	21-30	21-30	70	157	10990	अन सागुड
109				शो वरूल	0.80	61-90	1	129	129	अन सागुड
110				शो वरूल	0.80	61-90	1	129	129	अन सागुड
111				सागौन	21-30	21-30	30	157	4710	अन सागुड
112				सागौन	1.30	121-150	1	25932	25932	सागुड
113	सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड			
114	सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड			
115	सागौन	1.80	151-180	1	38033	38033	सागुड			
116	सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड			
117	सागौन	0.50	41-60	1	3458	3458	सागुड			
118	सागौन	0.60	41-60	1	3458	3458	सागुड			
119	सागौन	0.80	61-90	1	8172	8172	सागुड			
120	सागौन	0.90	61-90	1	8172	8172	सागुड			
121	सागौन	0.50	41-60	1	3458	3458	सागुड			
122	सागौन	0.90	61-90	1	8172	8172	सागुड			
123	श्रीम	1.50	121-150	1	1723	1723	श्रीम सागुड			
124	श्रीम	1.30	121-150	1	1723	1723	श्रीम सागुड			
125	सेमल	0.60	41-60	1	96	96	अन सागुड			
126	यूकोलिटस	1.00	91-120	1	616	616	श्रीम सागुड			
127	यूकोलिटस	1.00	91-120	1	616	616	श्रीम सागुड			
योग :-							125		182451	

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
128	म.प्र. मिगरल्स सलार्ड कंपनी जैतपुरा औम प्रकाश पिता भगत लाल	7/2 ख	चकगन्दी	यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
129				यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
130				यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
131				यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
132				यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
133				यूकेलिट्स	1.30	121-150	1	1031	1031	हाफ साउण्ड
134				यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड
135				यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड
136				यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड
137				यूकेलिट्स	1.40	121-150	1	1031	1031	हाफ साउण्ड
138				यूकेलिट्स	0.60	41-60	1	83	83	हाफ साउण्ड
139				यूकेलिट्स	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
140				यूकेलिट्स	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
141				यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
142				यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड
143	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
144	यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
145	यूकेलिट्स	0.70	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
146	यूकेलिट्स	0.60	41-60	1	83	83	हाफ साउण्ड			
147	यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड			
148	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
149	यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड			
150	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
151	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
152	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
153	यूकेलिट्स	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
154	यूकेलिट्स	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउण्ड			
155	यूकेलिट्स	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउण्ड			
योग :-							28		7940	

सम वाहिनी निरीक्षक
सम वाहिनी, सतना जंक्शन

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
156	म.प्र. भिन्नरत्न शरदाई कंपनी जैतवावा ओम प्रकाश पिता मरत सातल	7/2 स	सकल-दी	यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
157				यूकेलिटस	0.60	41-60	1	83	83	हाफ साउथ
158				यूकेलिटस	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
159				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
160				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
161				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
162				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
163				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
164				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
165				यूकेलिटस	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
166				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	112	112	हाफ साउथ
167				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
168				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
169				यूकेलिटस	0.80	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
170				यूकेलिटस	1.10	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
171				यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
172				यूकेलिटस	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउथ
173				यूकेलिटस	1.10	91-120	1	616	616	हाफ साउथ
174	यूकेलिटस	0.90	61-90	1	112	112	हाफ साउथ			
175	यूकेलिटस	1.00	91-120	1	112	112	हाफ साउथ			
176	यूकेलिटस	0.70	61-90	1	616	616	हाफ साउथ			
177	यूकेलिटस	1.00	91-120	1	112	112	हाफ साउथ			
178	यूकेलिटस	1.00	91-120	1	616	616	हाफ साउथ			
179	यूकेलिटस	1.20	91-120	1	616	616	हाफ साउथ			
180	नीम	2.00	Over-180	1	4542	4542	हाफ साउथ			
181	नीम	1.00	91-120	1	1369	1369	हाफ साउथ			
182	चिराल	1.00	91-120	1	712	712	अन साउथ			
183	चिराल	1.70	151-180	1	1669	1669	अन साउथ			
	सौर	0.60	41-60	1	96	96	अन साउथ			
	योग :-			28		16983				

कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक/859/उद्यान/2021

सतना, दिनांक: 07.05.2021


प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 बीजी के सतना-मैहर खण्ड पैकेज-3 के कि0मी0 80.800 से कि0मी0 119.535 तक का चारलेन चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु समस्त प्रभावित होने वाली परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कर गणना पत्रक प्रस्तुत करने बाबत।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में संयुक्त रूप से उक्त परियोजना अंतर्गत प्रभावित होने वाले ग्रामों जो कि रघुराजनगर तहसील क्षेत्र की आराजीयों में स्थिति फल दार वृक्षों का मूल्यांकन मुख्य वन संरक्षक सीवा वित्त सीवा के द्वारा निर्धारित गाईड लाईन 2020-21 के अनुसार तैयार कर गणना पत्रक संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न गणना पत्रक


उप संचालक उद्यान
जिला सतना (म0प्र0)
जिला सतना (म0प्र0)

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बी.जी. के सतना-महौर खण्ड पैकेज-3 में प्रभावित खड़े फलदार वृक्षों की सूची
(उद्यानिकी विभाग)

ग्राम - शेरगंज			तहसील - रघुराजनगर			जिला - सतना	
क्रमांक	खसरा क्र.	हितग्राही के नाम	वृक्षों के नाम	संख्या	गोलाई (गर्द) मी. में	मूल्यांकन दर	कुल मूल्यांकित राशि
1	281	म. प्र. शासन	बैर	1	0.60	96	96
2	296	सिद्धिका बानो पुत्री मो० सिद्धिक नफीस बेगम पुत्री मो० सिद्धिक मो० तौफीक पिता मो. सिद्धिक सहानाबानो पिता मो० सिद्धिक मुस्तफीक अहमद पिता मो० सिद्धिक एहतेशाम कुरैशी पुत्री मो० सिद्धिक एहतेशाम कुरैशी पुत्री मो० सिद्धिक मो० सिद्धिक मो० रहीस तनय हाजी अब्दुल समद	रुदम्व	1	1.20	712	712
कुल वृक्षों की संख्या				2		808	808

हल्का मल्लाह
4/8/21

Pringl
उद्यानिकी विभाग
जिला सतना (ना०३०)

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बी.जी. को सतना-महौर खण्ड पैकेज-3 में प्रभावित खड़े फलदार पृथों की सूची					(उद्यानिकी विभाग)		
ग्राम - इटीस कोला		खिलकारी के नाम	सहस्रों - स्पुलजना		जिला - सतना		
क्रमांक	खसरा क्र.		पृथों के नाम	क्षेत्रफल	गोलाई (परी) मी. व	कुलफल दर	कुल प्रत्यक्षित पृथों
1	128	श्रीमती विद्या देवी चल्दी खेत बलद खिलारी चला का इटीस भूमि खाली सजरा पिला सपकुना चला खिलारी चाल भूमि खाली खेत पिला सपकुना अविनाश खिलारी पिला सपकुना अविनाश खिलारी पिला सपकुना	देर	1	0.80	129	129
			देर	1	0.80	129	129
			देर	1	0.80	129	129
			देर	1	0.80	129	129
			देर	1	0.90	129	129
			देर	1	0.80	129	129
कुल पृथों की संख्या			6		774	774	


हस्ताक्षर
4/8/2021
9/8/21

उद्यानिकी विभाग
उप सहायक उद्यान
जिला सतना (सतना)

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 135 बी.जी. के सतना-महैर खण्ड पीकेज-3 में प्रमाणित खड़े फलदार वृक्षों की सूची (उद्यानिकी विभाग)							
ग्राम - बकवन्दी		दिलवाली के नाम	तहसील - रघुतजनगर		जिला - सतना		
क्रमांक	खसत क्र.		पुत्री के नाम	संख्या	घोसाई (वर्ग मी. में)	मूल्यकरन दर	कुल मूल्यकरिता राशि
1	452 ka	श्रीमती नीलम सिंह पत्नी शिवचंद सिंह पत्नी का 452/3/1 की 35 अक्षर महर कालवा भूमि खाली	अम	1	2.50	16672	16672
2	80	म प्र शासन	अम	1	1.00	10654	10654
			अम	1	1.00	10654	10654
			महुआ	1	2.90	3452	3452
			अमरुद	1	NAG	4008	4008
			अमरुद	1	NAG	4008	4008
3	103	विजय कुमार वि. विरवनाथ प्रसाद बटवाल का जेतदार भूमि खाली	बेत	1	0.40	85	85
4	7203	श्याम प्रवेश लिवरनाथ भाचर्याई कम्पनी जेतदार दवान ओमप्रकाश मिश्रा भरतनाथ का जेतदार भूमि खाली	बेत	1	1.10	712	712
			बेत	1	0.60	96	96
			जम्बू	1	1.00	5315	5315
			आवना	1	0.50	85	85
			आवना	1	0.60	85	85
कुल वृक्षों की संख्या				13		59834	59834


4/8/2021

उप-निरीक्षक उद्यान
जिला सतना (महाराष्ट्र)



◀ TO CHITRAKOOT

TO MAIHAR ▶



LEGEND:-

- Existing Center Line
- Proposed Center Line
- Proposed Right of Way
- Existing Right of Way
- Village Boundary

Sl. No.	Rev.	Description	Checked By
01	01	Issue	
02	01	Revise	
03	01	Revise	

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

Project Title:
 Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report for Development of Economic Corridor, Inter Corridors, Feeder Routes and Coastal Roads to Improve the Efficiency of Freight Movement in India. (Lot 1/Med/Op/Pradesh/Package-8)


Drawing Name:
 CHITRAKOOT TO MAIHAR ROAD
 (Package-II)
 LAND ACQUISITION PLAN
 Village - Majhbogawan Kotihar

Environmental Consultants & Engineers PVT. Ltd.
 A & O Group, New Delhi - 110018
 Tel: 011-26101111, Fax: 011-26101112

Prepared by: [Signature] Checked by: [Signature] Approved by: [Signature]
 Date: 04/08/2021 Date: 04/08/2021 Date: 04/08/2021

TO CHITRAKOOT

TO MAIHAR



LEGEND

Existing Center Line	---
Proposed Center Line	---
Proposed Right of Way	---
Existing Right of Way	---
Village Boundary	○



Project Title
 Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report for Development of Economic Corridors, Inter Corridors, Feeder Roads and Coastal Roads to Improve the Efficiency of Freight Movement in India (Lot-1/Andhra Pradesh/Package-6)

Drawing Name
 CHITRAKOOT TO MAIHAR ROAD (Package-II)
 LAND ACQUISITION PLAN
 Village - Lamtara


Environmental Consultants & Townships Pvt Ltd
 A.A. Ghosh Park, New Delhi - 110018
 Ph: 011-2606 3000, Fax: 2606 3073

Prepared by	Designed by	Checked by	Approved by

81	2015
82	2015
83	2015
84	2015
85	2015
86	2015
87	2015
88	2015
89	2015
90	2015
91	2015
92	2015
93	2015
94	2015
95	2015
96	2015
97	2015
98	2015
99	2015
100	2015

◀ TO CHITRAKOOT

▶ TO MAIHAR



LEGEND:-

Existing Center Line	---
Proposed Center Line	---
Proposed Right of Way	---
Existing Right of Way	---
Village Boundary	---



NATIONAL HIGHWAYS
AUTHORITY OF INDIA

Project Title:
Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report for Development of Economic Corridors, Inter Corridors, Feeder Routes and Coastal Roads to Improve the Efficiency of Freight Movement in India- (Lot-1/Med/Pya Pradesh/Package-4)


Drawing Name:
CHITRAKOOT TO MAIHAR ROAD
(Package-II)
LAND ACQUISITION PLAN
Village - Sherganj

International Computers & Technosoft Pvt Ltd,
A-4, Green Park, New Delhi - 110016
Ph: 46103031 Fax: 26061392

Prepared by	Designed by	Checked by	Approved by

SI	Rev	Date	Description	Checked by
01		Nov 2020		
02		Mar 2018		
Revision	Date	Description	Checked by	
Revision				
DRAWING No. NH/RA/1335/CCH/ET - MAHAR/08				Rev. 02
Scale: 1:2000 (1" = 165' 10")				

Map showing newly declared NH 135BG Proposed



Annexure-6

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

क्रमांक 20 सन् 2002

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई: अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए वृक्षों को काटकर गिराने के विनियमन के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

टिप्पणी

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन - नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से नगरीय भूमि पर दबाव बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण के लिए स्थान की उत्तरोत्तर कमी हो रही है,

नगरीयकरण की इस गति के कारण नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा तथा अन्य भौगाधिकार के लिये भी विद्यमान वृक्षों पर दबाव बन गया है, नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये नगरवासियों के कल्याण के लिए सामग्री भी जुटाते हैं। अतः यह प्रस्तावित है कि प्रक्रिया नियत करके वृक्षों के अनावश्यक गिराये जाने को रोका जाए।

2. विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(क) नगरीय भूमि पर सभी प्रकार के खड़े वृक्षों को गिराये जाने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी।

(ख) वृक्षों के गिराने के लिए अनुज्ञा इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वृक्षारोपण उसी के बराबर या अधिक संख्या में किया जाए।

3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

1. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. एफ. 25-20-2004-दस.-3 दि. 8 अगस्त 2005 से धारा '6' प्रति स्थापित।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001" है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्यपर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त नगरीय क्षेत्र में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "वृक्ष" से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा जिसकी शाखाएं तने या कार्य से निकलती हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और जिसके तले या काय का व्यास भूमि तल पर 30 से.मी. से कम न हो तथा जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम न हो;

(ग) "वृक्ष काट कर गिराना" से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, तने को जड़ों से पृथक् करना, टूट करना, उस पर विषैला पदार्थ लागकर, उसे जला कर या किसी अन्य रीति से उसे क्षति पहुंचाना;

(घ) "वृक्ष अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ङ) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका निगम/नगरपालिका/कैंटोमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समस्त स्थान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम के प्रयोग में लाई गई हैं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित की गई हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं।

3. वृक्षों को काटकर गिराने बाबत निर्बन्धन - कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रुढ़ि, प्रथा, संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो, या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिरवाएगा।

4. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति - राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को, जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, या आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "वृक्ष अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति - राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें यह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

6. वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया - (1) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की यांछ करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिस्यूकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागतः दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा:

परन्तु कोई भी अनुज्ञा, उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को, उसी दशा में इन्कार नहीं किया जाएगा जबकि वह,-

(एक) वृक्ष मृत हैं, रोगग्रस्त हैं या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सारतः नुकसान ग्रस्त

(चार) यातायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर, जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, यहां वह उस तारीख से, जिसको कि वृक्ष काटकर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय की संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है।

7. वृक्षों का परिरक्षण - आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगे और उसका भली-भांति परीक्षण किया जा रहा है।

8. धारा 6 के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन - (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यतापीन है, यथास्थिति आदेश या निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रारम्भिक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निर्देश के अनुसार आगमी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढाए गए समय के भीतर, जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगाया सकेगा और वृक्षारोपण की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर कर सकेगा।

9. अपील - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे।

(2) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा 6 या 7 के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश किया जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या निर्देश के पारित किए जाने से तीस दिन कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा,

(3) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपतार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् करेगा।

10. सम्पत्ति का अभिग्रहण - जहां वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो वह यथास्थिति वृक्ष या उसके भाग को, जो भूमि या तने से पृथक किया गया है, गिराए जाने के लिए उपयोग में लाए गए औजार, तथा उपकरण सहित अभिग्रहण कर सकेगा। जब वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कार्रवाई के लिए अग्रयित करेगा।

11. धारा 10 के अधीन अभिग्रहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति - वृक्ष अधिकारी धारा 10 के अधीन अभिग्रहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा, यदि भूमि ने, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्रारूप में बंध पत्र, निष्पादित कर दिया हो, जैसा कि प्रस्तुत करने के लिए विहित किया जाए।

12. इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे - (1) समस्त इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समस्त पशु, औजार, नाव, यान, रस्से, घेन या कोई अन्य सामग्री धारा 9, 11 तथा 17 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे। ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

(2) वृक्ष से उत्पादित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (1) के अधीन अधिहृत कोई नाव, पशु या अन्य प्रवहरण न्यायालय द्वारा ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

13. संगठनों द्वारा अपराध - (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, यहां वह संगठन तथा उस अपराध के लिए जाने के समय उस संगठन के कारबार के जाएंगे और तदुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता धरती है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस संगठन/यूनिट के प्रमुख,

सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूनिट का प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

14. अपराध के लिए जाने को रोकने की शक्ति - प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उस अधीनस्थ या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने से रोकेगा तथा अपराध के किए जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।

15. अपराध शमन करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जावे, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, ऐसी राशियाँ या ऐसे मूल या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, निर्गुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी - प्रत्येक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि धारा 3 के किसी उल्लंघन करने की तैयारी की, उसकी जानकारी की सूचना वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे।

17. धन के संदाय के आदेश का निष्पादन - कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निदेशित किया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

18. शास्ति - जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरवाएगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना यदि विहित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा।

19. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना - इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है।

20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यिता किसी बात के लिए या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो,

राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने लिए सशक्त हो, कोई चाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति - (1) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कालावधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबंध विहित रीति में विनियमित किया जाएगा।

22. वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिर्दिष्ट करना - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समस्त या निम्नलिखित में कोई शक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, अर्थात्:

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य ग्रहण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति।

23. गिराई गई सामग्री का अभिवहन - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) की धारा 41 तथा 42 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिचर्तन सहित लागू होंगे।

24. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।